दिनांक 1/12/18 को पेश हो।

24/4/18

भंवर लाल

वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। उपस्थित हुए कि वाद मानसिक विलोप खारीज हो चुका है। वाद खारीज होने से इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार रोस्टर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner